संख्या–232/XV-3/2019-08(06)/2018

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) **देहरादूनः दिनांक 28 मार्च, 2019**

विषय– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारत सरकार के ब्लू रिवोल्यूशनः योजनान्तर्गत संचालित योजना "सोलर पावर सर्पोट सिस्टम (नील क्रांति)" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–10970/शीतजल मा0/2018–19, दिनांक 29 जनवरी, 2019 के प्रस्तावानुसार एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–31012/09/2017-Fy(P&M), दिनांक 30.12.2017 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं पत्र संख्या–31012/09/2017-Fy(P&M), दिनांक 28.12.2017 एवं पत्र संख्या–31012/09/2017-Fy(P&M), दिनांक 02.01.2019 द्वारा प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ब्लू रिवोल्यूशनः समन्वित मात्स्यिकी का विकास एवं प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत सोलर पावर सर्पोट सिस्टम की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू० 225.00 लाख {रू० 89.10 लाख (केन्द्रांश) + रू० 9.90 लाख (राज्यांश) + रू० 126.00 लाख (लाभार्थी अंश)} की अनुमोदित केन्द्र सहायतित **"सोलर पावर सर्पोट सिस्टम (नील क्रान्ति)" योजना** में वित्तीय वर्ष 2017–18 में धनराशि रू० 76.222 लाख (केन्द्राशं रू० 67.222 लाख+ राज्यांश रू० 9.00 लाख) की अनुमोदित योजना के अवशेष कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना के संचालन के लिये प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति के क्रम में अवशेष अनुदान धनराशि रू० 9.278 लाख (केन्द्रांश रू० 8.378 लाख + राज्यांश रू० 0.90 लाख) के सापेक्ष शासनादेश संख्या–120/XV-3/2018-08(06)/2018, दिनांक 11.03.2019 द्वारा केन्द्राशं धनराशि रू० 8.378 लाख अवमुक्त किये जाने के उपरान्त **राज्यांश धनराशि रू० 0.90 लाख (रू० नब्बे हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति संलग्न परिशिष्ठ 'क' की तालिका के स्तम्भ–7 के अनुसार प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150) XXVII(1) /2017, दिनांक 30.06.2017 एवं सुसंगत शासनादेशों में प्रदत्त दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(2) भारत सरकार के पत्र संख्या–31012/09/2017-Fy(P&M), दिनांक 30.12.2017, पत्र संख्या–31012/9/2017-Fy(P&M), दिनांक 28.12.2017 एवं पत्र संख्या–31012/09/2017-Fy(P&M), दिनांक 02.01.2019 द्वारा प्रदत्त निर्देशों/स्वीकृति के अनुरुप ही योजना का क्रियान्वयन एवं व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु जारी Allotment ID की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित/निर्धारित प्रक्रियानुसार सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अनुसार तथा जनपदवार फांट करते हुये धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारियों को वितरित करते हुये तद्नुसार शासन को अवगत कराया जायेगा।

क्रमशः......2

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(6) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यय की सूचना (कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक) प्रतिमाह 5 तारीख तक बी०एम०–08 प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(8) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(9) किसी भी दशा में स्वीकृत की जा रही धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरादायित्व होगा, जो बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

(10) अवमुक्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के **फोटोग्राफ सहित** संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) योजनान्तर्गत अनुदान के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि का डी०बी०टी० के माध्यम से लाभार्थियों को अंतरित करते हुए, अंतरित की जा रही धनराशि का संकलित विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) किसी भी क्रय/विक्रय हेतु अधिप्राप्ति (प्रोक्यौरमेन्ट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रहों के अनुसार, आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी०जी०एस०एन०डी० की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूंजीगत मद में केन्द्र सहायतित योजना ब्लू रिवोल्यूशन कार्यक्रम के तहत अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –4405–मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय–101–अन्तर्देशीय मछली पालन, 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–01 04–**सोलर पावर सर्पोट सिस्टम (नील क्रांति)**, 42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– 294/XXVII-4/2019, दिनांक 27 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु **Allotment ID**. S1903280545, दिनांक 28/03/19 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

क्रमशः......3

संख्या– 232 (|)/XV-3/2019-08(06)/2018 ,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार साईबर ट्रैजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
5. राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी०एस० पुण्डीर)
उप सचिव।

क्रमशः......4

परिशिष्ट—'क'

शासनादेश सं०—232/XV-3/2019-08(06)/2018 (बजट), दिनांक 28 मार्च, 2019 का संलग्नक

ब्लू रिवोल्यूशनः मात्स्यिकी का समन्वित विकास एवं प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत मत्स्य विभागान्तर्गत संचालित की जा रही केन्द्र सहायतित "सोलर पावर सर्पोट सिस्टम (नील क्रांति)" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में अवमुक्त की जा रही अवशेष राज्यांश धनराशि रू० 0.90 लाख के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विवरणः—

(धनराशि रू० लाख में)

क्र0 सं0	मद/दर	कुल लक्ष्य (संख्या में)	कुल/प्रोजेक्ट धनराशि	प्रोजेक्ट धनराशि के सापेक्ष देय अनुदान (60%)	देय अनुदान के सापेक्ष फंडिग पैर्टन			प्रोजेक्ट धनराशि के सापेक्ष लाभार्थी अंश (40%)
					केन्द्रांश @ 90%	राज्यांश @ 10%	योग	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
1.	फिंगरलिंग व्यवस्था के सुदृढकीरण हेतु सोलर पावर सर्पोट सिस्टम की स्थापना **(अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु)** @ रू० 15.00 लाख प्रति यूनिट	02	30.00	18.00	8.378	0.90	9.278	12.00

(स्वीकृत धनराशि रू० 0.90 लाख मात्र)

(वी०एस० पुण्डीर)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Fisheries (S014)

आवंटन पत्र संख्या - 232/XV-3/2019-08(06)/2018,

अलोटमेंट आई डी - S1903280545

अनुदान संख्या - 028

आवंटन पत्र दिनांक -28-Mar-2019

HOD Name - Director Fisheries (4362)

1: **लेखा शीर्षक** - 4405 - मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय 00 -

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन

01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

04 - सोलर पावर सर्पोट सिस्टम (नील क्रांति)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	837800	90000	927800
	837800	**90000**	**927800**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 90000